

मध्य प्रदेश शासन
ठाकुर लिला विभाग

वत्तमान भवन, अ.पी.डी. - 462004

शिवार्थ - एफ. 73- 82 / 20-3/2005
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 28/10/2005

लिखित,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
पृथि विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशास्कीय संस्था तंत्रार एकेडमी, अशोक नगर, मध्यप्रदेश
को सी.बी.एस.ई. / अई.सी.सस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.अ.सी.
देने बाबत।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशास्कीय संस्था तंत्रार एकेडमी, अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
को.सी.बी.एस.ई. / अई.सी.सस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिता शिक्षा अधिकारों
को स्वयं को धा उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा इसे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक विभाग मण्डल के पंजीयक प्रतीक्षा को
इ. उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नोतिगत निर्णयों में इन दोनों मोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रधार-प्रतार के लिए लिये गए निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों को अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों
को संस्था को करना होगा।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदरशता ग्रहण कर सकता है।
परन्तु इसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आकारकता पड़ती है तो
उपलब्ध कराना होगा।

Principal
Sanskar Academy

निरन्तर 2 पर.....

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तंगालित करने के लिए यदि संत्या पा
भवन या स्टाफ की सेवाओं को आवश्यकता होगी तो उन्हें
उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
ल्लाला अंदेशासुसार

४ अंतर. भार. अधिकार १८८८/८५
अवर सचिव

मू०प्र० शासन, राष्ट्रीय शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. सं. 73 - 82 /20-3/2005

भोपाल, दिनांक -

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षा, मू०प्र० भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - अशोक नगर, मध्यप्रदेश
3. प्राचार्य, अशा. संत्या सरकार स्कैडरी बरेहेडी, अशोक नगर, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ इवं आवश्यक कार्यकाली द्वारा अंगूष्ठित है।

अवर सचिव

मू०प्र० शासन, राष्ट्रीय शिक्षा विभाग.